

बजट 2024-25 में अनुमोदित योजनाएँ

प्रलिमिंस के लिये:

[उरवरक \(यूरया\)](#), [आतमनरिभर भारत](#), केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमुख योजनाएँ, अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

मेन्स के लिये:

केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमुख योजनाएँ, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख आर्थिक नरिण्यों को मंजूरी दी है, जिसमें चीनी सब्सिडी योजना (Subsidised Sugar Scheme) जैसी वभिन्न योजनाओं का वसितार भी शामिल है।

केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमुख योजनाएँ कौन-सी हैं?

■ चीनी सब्सिडी योजना का वसितान:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वतिरण योजना (PDS) के माध्यम से वतिरति अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी परिवारों के लिये चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को अनुमति दे दी है।
- यह योजना नरिधनतम लोगों तक चीनी की पहुँच को सुगम बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा को शामिल करती है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो।
- इस योजना के तहत, केंद्र सरकार प्रतभागी राज्यों के AAY परिवारों को चीनी पर प्रतमाह प्रतकिलोग्राम 18.50 रुपए की सब्सिडी देती है।
 - इस अनुमति से [15वें वतित्त आयोग \(2020-21 से 2025-26\)](#) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है।
- भारत सरकार पहले से ही [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना \(PM-GKAY\)](#) के तहत नशिलुक राशन प्रदान कर रही है।
 - PM-GKAY के अलावा** भी नागरिकों को पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर कफियाती और उचति कीमतों पर 'भारत आटा', 'भारत दाल' और टमाटर तथा प्याज की बिक्री की जाती है।
- इस अनुमति के साथ, सरकार [सार्वजनिक वतिरण प्रणाली \(PDS\)](#) के माध्यम से AAY परिवारों को प्रतमाह प्रतपरिवार एक किलोग्राम की दर से चीनी वतिरण के लिये प्रतभागी राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी।
 - चीनी की खरीद और वतिरण की जमिमेदारी राज्यों की है।

■ परधान/वसुत्यों के नरियात के लिये राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवी में छूट की योजना (RoSCTL):

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परधान/वसुत्यों और मेड अप्स के नरियात के लिये राज्य एवं केंद्रीय करों तथा लेवी (RoSCTL) की छूट योजना 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की अनुमति दे दी।
- दो वर्षों की प्रस्तावति अवधि के लिये योजना को जारी रखने से स्थरि नीतगित व्यवस्था मल्लिगी जोदीर्घकालिक व्यापार योजना हेतु आवश्यक है, वशिष रूप से कपड़ा कषेत्र में।
 - अन्य कपड़ा उत्पाद जो RoSCTL के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, अन्य उत्पादों के साथ **RoDTEP** के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

■ पशुपालन अवसंरचना वकिस कोष (AHIDF) का वसितार:

- मंत्रिमंडल ने अवसंरचना वकिस कोष (Infrastructure Development Fund- IDF) के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना वकिस कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund- AHIDF) को वर्ष 2025-26 तक अगले तीन वर्षों के लिये जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- योजना का उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद वविधीकरण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र और नसल गुणन फार्म के लिये नविश को प्रोत्साहति करना है।

- AHIDF एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में पशुपालन क्षेत्र में नविश को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना है।
 - भारत सरकार अनुसूचित बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से 90 प्रतिशत तक ऋण के लिये दो वर्ष की मोहलत सहित 8 वर्षों के लिये 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।
- **उर्वरक (यूरिया) इकाइयों के लिये घरेलू गैस की आपूर्ति के लिये वपिणन मार्जनि:**
 - मंत्रिमंडल ने 1 मई, 2009 से 17 नवंबर, 2015 की अवधि में **उर्वरक (यूरिया) इकाइयों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर वपिणन मार्जनि** के निर्धारण को अनुमति दे दी है।
 - यह अनुमति एक संरचनात्मक सुधार है। वपिणन मार्जनि, गैस के वपिणन से जुड़े अतिरिक्त जोखिम और लागत को वहन करने के लिये **वपिणन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से गैस की लागत के अतिरिक्त वसूला जाता है।**
 - इससे पहले सरकार ने वर्ष 2015 में **यूरिया और LPG उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर वपिणन मार्जनि निर्धारित** किया था।
 - यह अनुमोदन वभिनिन उर्वरक (यूरिया) इकाइयों को 2009 से 2015 की अवधि के दौरान खरीदी गई घरेलू गैस पर उनके द्वारा भुगतान किये गए **वपिणन मार्जनि के घटक के लिये अतिरिक्त पूंजी** प्रदान करेगा।
 - सरकार के **आत्मनिर्भर भारत** के दृष्टिकोण के अनुरूप, इस अनुमति से निर्माताओं को नविश बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
 - बढ़े हुए नविश से उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी और गैस अवसंरचना के क्षेत्र में भविष्य के नविश के लिये निश्चिता आएगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, नमिनलिखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. केवल वे ही परविर सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।
2. परविर में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परविर का मुखयिा होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न 1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायकी का प्रतसिथापन भारत में सहायकियों के परदृश्य का कसि प्रकार परविरतन कर सकता है? चर्चा कीजयि। (2015)

प्रश्न 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा वधियक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में कसि प्रकार सहायता की है? (2021)